The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 8 | August 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सोपान

विवेक सिंह
शोध छात्र
सतत शिक्षा विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय
भोपाल, म0प्र0

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनए राजनीतिक व्यवस्था

ABSTRACT

राष्ट्रीय आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए संगठित रूप से संघर्ष किया। इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के अनेक महान सपूतों ने बलिदान दिया इस आंदोलन के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर गांधी युग तक भारतीय नेताओं के लगातार संघर्ष से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। इस आंदोलन ने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देशवासियों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया।

अगस्त क्रांति

स्वतन्त्रता–स्व पर नियमन का तंत्र, इसी तंत्र को विकसित करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लम्बी आजादी की लड़ाई लड़ी। क्योंकि इससे पहले हमें नियंत्रित करने के लिए तंत्र ब्रिटेन से संचालित होता था, और जब हमने लम्बी लड़ाई के बाद आजादी प्राप्त की, तब हमने जो तंत्र विकसित किया उसकी शुरुआत हमने "हम भारत के लोग" से की।

भारत का परतंत्र होना

हम देखेंगे कि जो राजनैतिक अस्थिरता अरबों और तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में थी। कमोबेश उसी तरह की राजनैतिक अस्थिरता अंग्रेजों के समय भी देखने को मिलती है। जिसका अंग्रेज पूरा फायदा उठाते है और क्रमशः बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठे होते हुए पूरे राजपूताना पर कब्जा कर लेते है।

एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था

अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करने के उपरान्त राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणली तथा क्षेत्रगत विशेषता के आधार पर आर्थिक व्यवस्था लागू करते है। राजनीतिक प्रणाली के तहत लॉ एण्ड आर्डर तथा लगान वसूली तो वही न्यायिक प्रणाली के तहत राजनीतिक निर्णयों और आर्थिक वाद–विवाद को वैधता प्रदान की गई। पूरे भारत में अंग्रेजों ने तीन तरह की आर्थिक प्रणाली लागू की। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, दक्कन में रैयतवाड़ी और पश्चिमी यू0पी0 तथा पश्चिमोत्तर में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की। इन सभी नीतियों का उद्देश्य भारत से अधिक से अधिक धन की उगाही थी। इस वसूली में सर्वाधिक योगदान रेलवे ने किया। रेलवे ने स्वावलम्बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, सैनिकों की आवाजाही तीव्र की, साथ ही इसने स्वतंत्रता आंदोलन को भी धार दिया।

रेलवे में विभिन्न धर्म, जाति के लोग साथ बैठे। जिससे सामाजिक जड़ता टूटी देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रेलवे में बैठे। जिससे अंग्रेजों के औपनिवेशिक शोषणकारी चरित्र सबके सामने आया। इस जागरूकता ने अंग्रेजों के विरूद्ध आन्दोलन तीव्र किया।

शिक्षा का विकास

औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य कंपनी के लिए सस्ते और कुशल क्लर्क की आपूर्ति थी। इसलिए तमाम बहस वाद विवाद के बाद 1834 में मैकाले घोषणा के माध्यम से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। अंग्रेजी को बढ़ावा देने से भारत पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आया। परिणाम स्वरूप भारत के लोग अंग्रेजों की कथनी और करनी में अंतर को समझ सके। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र किया।

1857 का विद्रोह

1857 का विद्रोह भारत की औपनिवेशिक राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। इस आन्देालन ने अंग्रेजों को आश्वस्थ कर दिया कि यदि भारत पर राज करना है तो बांटो और राज करो की नीति द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि उनका मानना था कि इस आंदोलन के लिए मुसलमान जिम्मेदार थे। अतः अंग्रेजों ने हिंदुओं को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया परन्तु सफलता नहीं मिली। अतः अंग्रेजों का रूख मुसलमानों की तरफ हुआ। W.W. हण्टर अपनी पुस्तक 'इंडियन मुसलमान्स' में मुसलमानें को अपने पक्ष में लेने का सुझाव भी देते है। इसी दौरान सर सैयद अहमद खां जो मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग आवश्यक मानते है, मुसलमानें से अंग्रेजों का सहयोग और समर्थन करने की अपील करते हैं। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन को संचालित करते है तथा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एग्लों ओरिएण्टल कॉलेज की स्थापना करते है। अपने मिशन में मशगूल अहमद खां कांग्रेस को स्थापना का भी विरोध करते है तथा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर इण्डियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते है। इस तरह 1857 ई0

का विद्रोह, सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि आधुनिक भारत के इतिहास के विभाजन की कड़ी है। क्योंकि अब तक के सांप्रदायिक सौहार्द को अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू कर दिया तो वही कंपनी का शासन भी समाप्त होकर क्राउल का नियंत्रण हो गया।

कांग्रेस की स्थापना

1885 में कांग्रेस को स्थापना संन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, 1857 का विद्रोह, दक्कन दंगे तथा राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आदि बुद्धिजीवियों की कार्यों और विचारों की चरम परिणति थी। इससे महत्वपूर्ण योगदान A.O. ह्यूम ने किया।

उद्देश्य

1– देश के हितों को रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच मित्रता और संपर्क बढ़ाना।

2– जाति–धर्म ओर प्रांतीय विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता पर बल।

3– राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दो पर शिक्षित वर्ग को एकजट करना।

4– भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना।

शुरू–शुरू में कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का नजरिया सकारात्मक था लेकिन मद्रास तीसरे अधिवेशन के बाद अंग्रेजों की दृष्टि कांग्रेस के प्रति कठोर होती चली गयी जो अंत तक रही। यहाँ तक कि 1930 में कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया।

स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का विभाजन

बंगाल में संचित हो रहे राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। प्रतिक्रियास्वरूप स्वदेशी आंदोलन हुआ। यह गांधी जी के आगमन से पूर्व प्रथम अहिंसक सुनियोजित आंदोलन था जिसमें छात्रों और महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर भागीदारी की। इस आंदोलन के विस्तार को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के नरमपंथी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे जबकि युवा गरमपंथी पूरे भारत में विस्तार चाहते थे। यह विवाद इतना बढ़ा कि 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और गरमपंथियों के लिए कांग्रेस का दरवाजा बंद हो गया। 1907 से 1915 तक कांग्रेस लगभग शिथिल रही। इस बीच मार्ले–मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन, कांग्रेस से निराश युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ बढ़े, प्रथम विश्वयुद्ध का आदेश हुआ और अंततः बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ तथा राजधानी परिवर्तित हुयी, बंगाल में बढ़ते क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के कारण।

लखनऊ अधिवेशन 1916

लखनऊ अधिवेशन 1916 में दो समझौते हुए, पहला कांग्रेस के दोनों घड़े रमपंथी और नरमपंथी एनी बेसेंट के प्रयासों से एक हुए। दूसरा समझौता कांग्रेस और लीग का हुआ जिसमें तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते में मार्ले– मिटों सुधारों के सांप्रदायिक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस स्वीकारोक्ति ने सांप्रदायिक निर्वाचन को वैधता दे दी। आगे चलकर इस गलती को 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त निर्वाचन के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया गया परंतु तब तक देर हो चुकी थी और इसके विरुद्ध जिन्ना 19 सूत्री मांग प्रस्तुत कर दिये जो अंततः भारत के विभाजन का कारण बना।

गांधी युग

महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आये। भारत भ्रमण के उपरान्त उनका पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन था जो सफल हुआ। इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह का सफल आयोजन किया। 1919 में रौलेट एक्ट और देश व्यापी सत्याग्रह की घोषणा। इसी सत्याग्रह के दौरान जलियांवाला हत्याकाण्ड हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त और तुर्की के साथ सेवर्स की संधि जिससे भारतीय मुसलमान नाराज, और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने इसे हिंदू–मुस्लिम एकता के सुअवसर के रूप में देखा और खिलाफत का समर्थन किया। तत्पश्चात् गांधी ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की।

असहयोग आंदोलन

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् भारत को स्वशासन की जगह रौलेट एक्ट मिला। मांटेस्क्यू–चेम्सफोर्ड सुधारों ने निराश किया। युद्ध की वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी तथा तुर्की के साथ अन्याय हुआ जिससे भारतीय मुसलमान लगाव रखते थे। इसी पृष्ठभूमि में आंदोलन शुरू–

1– गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया।

2– अभूतपूर्व हिंदू–मुस्लिम एकता दिखायी दी।

3– आंदोलन का प्रसार पूरे भारत में।

4– छात्रों ने स्कूल छोड़ा, वकीलों ने वकालत, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत खुली, महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही।

इसी बीच चौरी–चौरा की घटना घटी और गांधी ने सत्याग्रहियों को अपरिपक्व मानते हुए आंदोलन वापस ले लिया। पूरे देश में निराशा छा गई, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गये।

इस निराशा भरे माहौल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण आरंभ हुआ जो समाजवादी विचारधारा से ओत–प्रोत था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिसन, हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना । ऐसी संस्थाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दी। ऐसे माहौल में साइमन कमीशन आया जो निश्चित समय से दो वर्ष पहले जाया और विवादों में घिर गया। तत्पश्चात् 1929 की विश्वव्यापी मंदी ने सबकी कमर तोड़ दी। अतः एक बार पुनः गांधी जी को सविनय अवज्ञा शुरु करने के लिए चुना गया। गांधी से इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखी और पूरा न होने पर आंदोलन शुरू करने की बात रखी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)

कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया और गांधी जी को आंदोलन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी। गांधी जी के दाण्डी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इसके विभिन्न कार्यक्रम थे जैसे–

1– नमक कानून का उल्लंघन

2– करो की अदायगी

3– महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ो की दुकानों पर धरना

4– सरकारी उपाधियों, सेवाओं, न्यायालयों का बहिष्कार

5– विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।

आंदोलन की व्यापक सफलता और इसी दौरान हो रहे गोलमेज सम्मेलन के असफल होने से अंग्रेज कांग्रेस से समझौता करने के लिए विवश हो गये, और 1931 में गांधी–इर्विन समझौता हुआ। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया।

1935 का अधिनियम

तीनों गोलमेज सम्मेलनों के उपरान्त 1935 का अधिनियम आया। जिसके तहत 1937 में कांग्रेस मंत्रीमण्डल स्थापित हुए। पुनः 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू और अंग्रेजों द्वारा भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करना, विरोध स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमण्डलों का इस्तीफा। लेकिन मुस्लिम लीग का अंग्रेजों को समर्थन जारी। इसी की आड़ में मुस्लिम लीग का उग्र रूप से पाकिस्तान की मांग, 1940 लाहौर अधिवेशन में जिन्ना द्वारा स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र की

मांग। दूसरी तरफ अंग्रेज कांग्रेस से समझौता करने के लिए प्रयासरत पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 और फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 तो वही कांग्रेस भी दबाव बनाने के लिए तथा पूर्ण स्वाधीनता से नीचे समझौता को तैयार नहीं, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, फिर अंततः भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 शुरू।

भारत छोड़ों आंदोलन (अगस्त क्रांति)

भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में समय–समय पर विभिन्न आनदोलन हुए, जिसमें प्रारम्भ बिन्दु 1857 की क्रांति तथा निर्णायक बिन्दु 1942 ई0 का भारत छोड़ों आन्दोलन है।

भारत छोड़ों आन्दोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। उसका दमन भी उतना ही क्रूर और अभूतपूर्व था। जिन परिस्थितियों में यह संघर्ष छेड़ा गया, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ राष्ट्रीय आन्दोलन में अब तक नहीं आई थीं। ब्रिटिस सरकार ने द्वितीय विश्वयुद्ध की आड़ में अपने को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया। साथ ही शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रतिबन्धित कर दिया था। जिसकी परिणति 1942 के रूप में दिखाई देता है।

मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत के राष्ट्रीय नेताओं का तो सहयोग चाहती थी लेकिन भारत को आजादी देने जैसा कोई सम्मान जनक समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की इच्छा जाने बिना भारतीयों के भाग्य तय कर दिया था। 'करो या मरो' वाले अपने भाशण में गांधी जी ने साफ–2 कहा कि ''मैं रूस या चीन की हार का औजार बनना नहीं चाहता' लेकिन 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा संघर्ष अनिवार्य है। संघर्ष अपरिहार्य इसलिए भी होता जा रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव से जनसाधारण में बेहद असंतोष था। ब्रिटिश सरकार इतना भयाक्रांत थी कि सिचाई की नहरों का कही जापानी जल परिवहन के लिए इस्तेमाल न कर ले यह सोचकर नहरों का पानी बहा दिया गया। जिससे खेत सूखने लगे और किसान कंगाल हो गया। मकानों और मोटर गाड़ियों पर सेना ने कब्जा कर लिया था।

धीरे–धीरे ब्रिटिश शासन में जनसाधारण की आस्था इतनी घट गई कि लोग बैंकों और डाकघरों से अपना रूपया निकालने लगे और अपनी बचत को सोने और चॉदी के सिक्कों में बदल कर रखने लगे।

गांधी जी को अब लगने लगा कि अब देर करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो ''मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूँगा।'' नतीजतन कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक में संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव का आन्दोलन ऐतिहासिक सभा बंबई के ग्वालिया टैंक में हुई। जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था।

ग्वालिया टैंक के ऐतिहासिक भाषण में जनता से आहवाहन करते हुए कहा कि में वायसराय से अब मंत्रिमण्डल बनाने, नमक टैक्स, शराब खोरी समापत करने जैसे प्रस्तावों को ठुकरा दूँगा। ''आजादी से कम कुछ नहीं। उहोंने करो या मरो का नारा दिया। जिसका अर्थ था या तो हम भारत को आजाद करायेगें या इस कोशिस में अपनी जान दे देगें।

आपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त तड़के ही कांग्रेस के सभी बड़े नताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। सरकार के इस अचानक हमले से देश भार में तूफान सा आ गया। बंबई में लाखों लोग ग्वालिया टैंक की ओर उमड़ पड़े जहाँ एक जनसभा होने की घोषणा की गई थी। अधिकारियें से टकराहट भी हुआ। अहमदाबाद, पूना में भी टकराव हुआ। 10 अगस्त को दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना इत्यादि शहरों में हड़ताल रही तथा बड़े–बड़े जुलूस निकले। इसके साथ ही सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया। बहुत से अखबार कुछ दिनों के लिए बंद रहे। :नेशनल हेराल्ड' और हरिजन तो पूरे आन्दोलन के दौरान नहीं निकले।

प्रान्तीय तथा स्थानीय स्तर के नेता गिरफ्तार होने से बच गये थे। वे अपने–अपने इलाके में चले गये और प्रतिरोधत्मक गतिविधियों में लग गये। गांवों में भी विद्रोह का सिलसिला चल पड़ा। लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचेहरियों, रेलवे स्टेशनों तथा सरकारी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर आक्रमण किया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया गया। गांव वालों ने हजारों की संख्या में एकत्र होकर रेल पटरियॉ उखाड़ दी, टेलीफोन तथा तार की लाइने काट दीं। जिला मुख्यालय में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी भी दी। स्कूल–कालेज में हड़ताल हो गई और छात्र जुलूस निकालने तथा गैरकानूनी परचे लिखने और बाटने में लग गये। इस आन्दोलन में मजदूर भी पीछे नहीं रहे अहमदाबाद के कारखाने लगभग 4 महीने तथा बंबई के कारखाने एक सप्ताह तक बन्द रहे।

बिहार और उत्तर प्रदेश में तो विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। भारत छोड़ों का संदेश गांवों–गांवों तक फैल गया था। उनके नारे थे, थाना जलाओ, स्टेशन फूक दो, अंग्रेज भाग गया इत्यादि

सचविालय गोली काण्ड के बाद पटना दो दिनों तक बेकाबू रहा। उत्तर और मध्य बिहार के 80 प्रतिशत थानें पर जनता का राज हो गया था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में चित्तू पाण्डेय ने जिला अधिकारी को अपदस्त करके समानान्तर सरकार की स्थापना की। इस विद्रोह में बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी क्रमशः जातीय सरकार तथा प्रति सरकार की स्थापना करके सरकार को अपदस्त कर दिया।

सरकार को जनता के खुले आम विद्रोह पर काबू पाने में छह से सात हफ्ते लग गये। इस बीच देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन का एक भूमिगत संगठनात्मक ढाचा तैयार हो रहा था। प्रथम पंक्ति के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद द्वितीय पंक्ति के नेता–राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरूणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कृपा मेहता आदि ने भूमिगत संगठनात्मक ढांचा का नेतृत्व किया।

जय प्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ आजाद दत्ता का गठन किया। जिसका कार्य तोड़–फोड़ करना था। इसी प्रकार राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से गुप्त रेडियों कांग्रेस पर अपने विचार को क्रांतिकारियों तक पहुचाते थे।

इस भूमिगत आन्दोलन की गतिविधि पुलों को उखाड़ना, टेलीफोन के तार काटना, रेल पटरी उखाड़ना, संचार के साधन नष्ट करना था। सरकार ने बर्बर दमन पर उतारू थी और खुले आम राजनीतिक गतिविधियों को असंभव बना दिया गया था। लेकिन इन कार्यवाहियों से जनता का मनोबल टूटा नहीं वे अपने आपको आजाद महसूस करने लगे। जनता के मन से ब्रिटिश सरकार का भय समाप्त हो गया।

इस आन्दोलन से न केवल जनसाधारण का मनोबल ऊंचा हुआ बल्कि ब्रिटिश विरोधी भावना में उभार आया। यह भी सारे दुनिया के सामने उजागर हो गया कि सरकारी दमन के तौर तरीके कितने कठोर है। सरकार 1942 के दमन का जो औचित्य साबित करना चाहती थी वह खत्म हो गया और यह साबित हो गया कि गलती सरकार की ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1– आधुनिक भारत का इतिहास–बी एल ग्रोवर, अलका मेहता, यशपाल

2– भारत का स्वतंत्रता संघर्ष–बिपिन चंद्र

3– विकिपीडिया

4– गूगल सर्च इत्यादि